

फर्द अहकाम

नन्दलाल बनाम लब्बूराम वगै०
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)
 मुकदमा नम्बर 181/2025 दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
 GCMS NO: 2025/453.

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20.11.2025	<p>वादी की ओर से यह वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री नरेश कुमार यादव के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तल्बी हेतु दिनांक 08.12.2025 को पेश हों।</p> <p>8 12/25 वकूलायें फरीकें उपरिगत वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 19.12.25 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>
	19 12/25	<p>पत्रावली पेश वादी की ओर से हुई उपरिगत नहीं। न्यायालय समक्ष में प्रमाण का-वात साबित लगाने के बाद भी वादी की ओर से कोई प्रमाण नहीं आने के कारण वकील का वादपत्र अफस होपरी एवं प्रमाण फेरने के आरोप किया जाता है। पत्रावली प्रेषण हुआ है और फर्द नम्बर 181 को ही वाद हाजिर कराया है।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>